



भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

Deputy General Manager/ उप महाप्रबंधक
वसूली प्रभाग/Recovery Division
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय /Northern Regional Office
दूरभाष/Tel: 011-69012998/58,
recoverynro@sebi.gov.in

SEBI/OW/2022/28539/1
14 जुलाई 2022/July 14, 2022

अभय कुमार मेहता, एचयूएफ/Abhay Kumar Mehta, HUF
119/505, दर्शनपुरवा/119/505, Darshanpurwa
कालपी रोड, कानपुर-208012/Kalpi road, Kanpur-208012

महोदय/ Sir,

विषय: रोडियम रियल्टी लिमिटेड के मामले में अभय कुमार मेहता, एचयूएफ के खिलाफ 2022 के रिकवरी सर्टिफिकेट नंबर 4645 के तहत आपके खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्यवाही - ब्याज राशि का किस्तों में भुगतान के लिए आपका अनुरोध।

Subject: Recovery Proceedings initiated against you vide Recovery Certificate No. 4645 of 2022 against Abhay Kumar Mehta, HUF in the matter of Rodium Realty Limited -Your request for payment of interest amount in instalments

संदर्भ: आपका दिनांक 29/6/2022 का ईमेल और दिनांक 4/7/2022 का पत्र

Reference: Your email dated 29/6/2022 and letter dated 4/7/2022

1. इसमें आपके ईमेल दिनांक 29/6/2022 और पत्र दिनांक 4/7/2022 (7/7/2022 को सेबी में प्राप्त) के संदर्भ में अन्य बातों के साथ-साथ सेबी से अनुरोध किया गया है कि बकाया देय (शास्ति/दंड पर अर्जित ब्याज) को अनुमति दी जाए कि 2022 का 4645 वसूली प्रमाण पत्र संख्या के लिए मासिक किस्तों में भुगतान किया जाए। This has reference to your email dated 29/6/2022 and letter dated 4/7/2022 (received in SEBI on 7/7/2022) *inter alia* requesting SEBI that the outstanding dues (interest accrued on penalty) be allowed to be paid in monthly instalments for Recovery certificate no. 4645 of 2022.

2. कृपया नोट करें कि रिकवरी सर्टिफिकेट नं. 4645 के 2022 दिनांक 11/04/2022 के द्वारा रोडियम रियल्टी लिमिटेड के मामले में अभय कुमार मेहता, एचयूएफ के खिलाफ 19,51,000/- की राशि (अतिरिक्त ब्याज, सभी लागतें, प्रभार और व्यय सहित) के लिए वसूली कार्यवाई शुरू की गई थी। प्रमाण पत्र के तहत, मूल राशि रु. 10,00,000/- का भुगतान आपके द्वारा किया गया है और वसूली प्रमाण पत्र के तहत 2022 का 4645 ब्याज की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्यय की गई राशि रु. 9,61,000/- भुगतान किया जाना है।

“हम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

राजीव रस्तोगी

उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय : प्लेट-बी, आठवीं मंज़िल, ऑफिस टॉवर-1, एन बी सी सी कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवाई जमिंदार हर्डिबिक्ली - 110023

Northern Regional Office : Plate-B, 8th Floor, Office Tower-1, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 दूरभाष (Phone) : 011 - 69012998

प्रधान कार्यालय : सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4 'अ', जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 दूरभाष (Phone) : 022 - 26449000

Head Office : SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 Web. : www.sebi.gov.in



भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
**Securities and Exchange
Board of India**

Please note that vide recovery certificate no. 4645 of 2022 dated 11/04/2022, recovery was initiated against Abhay Kumar Mehta, HUF in the matter of Rodium Realty Limited for an amount of Rs. 19,51,000/- along with further interest, all costs, charges and expenses. Under the certificate, the principal amounts of Rs. 10,00,000/- has been recovered and outstanding amount of interest, all costs, charges and expenses incurred amount to Rs. 9,61,000/- under Recovery certificate 4645 of 2022 is due to be paid.

3. ऊपर पैरा 1 में बताए गए आपके अनुरोध की जांच की गई है और मासिक किस्तों में अतिरिक्त ब्याज, लागत और शुल्क के भुगतान की बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन दी जाएगी:

Your request as stated at paragraph 1 above has been examined and taking note of the outstanding dues of payments of further interest, costs and charges in monthly instalments shall be granted subject to the terms and conditions as set out below:

- i. उपरोक्त के रूप में देय राशि का भुगतान 18 कैलेंडर महीनों की अवधि में मासिक किस्तों में किया जाएगा जो कि अगस्त, 2022 से शुरू होगा। दिनांक 11.04.2022 को जारी 2022 की सर्टिफिकेट संख्या 4645 के लिए मासिक किस्त रु. 53,389 होगा।

The payment of dues as aforementioned shall be made in monthly instalments spread over a period of 18 calendar months starting from August, 2022. The monthly instalment shall be Rs. 53,389/- for the certificate no. 4645 of 2022 dated 11.04.2022.

- ii. प्रत्येक कैलेंडर माह के 10 वें दिन या उससे पहले, किस्त की राशि "सेबी रिकवरी प्रोसीड्स" में ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा खाता संख्या SEBIRDPEN4645, आईसीआईसीआई कोड-आईसीआईसी0000106 में जमा की जाएगी। साथ ही सेबी को इसकी सूचना निम्न ईमेल द्वारा दी जाएगी - reoverynro@sebi.gov.in और simrank@sebi.gov.in। इसकी शुरुआत अगस्त, 2022 से होगी।

The instalment amount shall be credited to "SEBI Recovery Proceeds" EFT/NEFT/RTGS to Account bearing No. SEBIRDPEN4645 of ICICI code- ICIC0000106 on or before the 10th day of every calendar month under intimation to SEBI by email to reoverynro@sebi.gov.in and simrank@sebi.gov.in, commencing from August, 2022.

- iii. उपरोक्त देय राशि की वसूली के संबंध में अंतिम किस्तों के भुगतान के समापन तक और आपके सभी बैंक*/डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो, जिसमें अकेले या संयुक्त रूप से रखे गए लॉकर की संतुष्टि भी शामिल हैं। खातों में क्रेडिट की स्वाभाविक रूप से अनुमति है, लेकिन ऐसे खातों पर लगाए गए फ्रीज के कारण डेबिट प्रतिबंधित हैं।

श्रीजीव २ श्रीजीव

“हम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय : प्लेट-बी, आठवीं मंजिल, ऑफिस टॉवर-1, एन बी सी सी कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवाई प्रमण्डल हर्डिक्वली - 110023

Northern Regional Office : Plate-B, 8th Floor, Office Tower-1, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 दूरभाष (Phone) : 011 - 69012998

प्रधान कार्यालय : सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4 'अ', जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 दूरभाष (Phone) : 022 - 26449000

Head Office : SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 Web. : www.sebi.gov.in



**भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

Till the conclusion of payment of last instalments in respect of recovery of the above dues and satisfaction of the above dues in full all your Bank*/ demat accounts and Mutual Fund Folios including lockers held either singly or jointly shall continue to remain attached. Credits are naturally allowed in the accounts, but debits are restricted owing to the freeze imposed on such accounts.

- iv. आप सहमत होंगे कि किस्त की सुविधा सेबी को आपके ईमेल दिनांक 29/6/2022 और पत्र दिनांक 4/7/2022 द्वारा किए गए आपके आवेदन पर विचार करते हुए प्रदान की जाती है और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 की धारा 220 से 227, 28क, 229, 232, प्रावधानों के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28क के प्रावधानों के अनुसार सेबी धारा के प्रावधानों के अनुसार बकाया की वसूली का अधिकार सुरक्षित रखता है। ।
You shall agree that the instalment facility is provided in consideration of your application made to SEBI vide email dated 29/6/2022 and letter dated 4/7/2022 and that SEBI reserves its right to recover the dues in accordance with the provisions of Section 28A of the SEBI Act, 1992 read with the provisions of section 220 to 227, 228A, 229, 232, the Second and Third Schedules to the Income-tax Act, 1961 and Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962.
- v. यदि आप नियत तारीख यानी कैलेंडर माह के 10वें दिन से पहले एक भी किस्त के भुगतान में कोई चूक करते हैं, तो उस समय पूरी बकाया राशि के किस्त के संबंध में चूक माना जाएगा।
In case you commit any default in payment of even a single instalment before the due date i.e. 10th day of calendar month, you shall be deemed to be in default as to the whole of the amount then outstanding.
- vi. ऐसी चूक की स्थिति में, वसूली अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 की धारा 220 से 227, 28क, 229, 232, प्रावधानों के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28क के प्रावधानों के अनुसार सेबी धारा के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
In such event of default, the Recovery Officer shall take necessary action in accordance with the provisions of Section 28A of the SEBI Act, 1992 read with Section 220 to 227, 228A, 229, 232 of the Income Tax Act, Second Schedule and Income-tax (Certificates Proceedings) Rules, 1962.
- vii. यदि आप इस किस्त सुविधा के तहत भुगतान करने में कोई चूक करते हैं, तो सेबी अधिनियम, 1992 प्रावधानों के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 88 के साथ पठित सेबी अधिनियम की धारा 28क के तहत आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगा।



Continuation Sheet

**भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

In case of you committing any default in honouring payments under this instalment facility, SEBI shall initiate necessary action against you in terms of section 28A of the SEBI Act read with rule 88 of the Second Schedule to the Income –tax Act, 1961.

4. सेबी द्वारा आपको दी जा रही किस्त सुविधा को प्रभावी बनाने हेतु आपको उपरोक्त नियमों और शर्तों के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी।

You shall furnish your acceptance to the aforesaid terms and conditions so as to give effect to the instalment facility being afforded by SEBI to you.

राजीव रास्तोगी
14/07/2022

वसूली अधिकारी

Recovery Officer

RAJEEV RASTOGI
वसूली अधिकारी एवं सहायक प्रबंधक
Recovery Officer & Deputy General Manager
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
एन. रीजनल कार्यालय/N. Regional Office
नई दिल्ली/New Delhi